प्रपत्र 3 FORM 3 |नियम 54 (12) देखें| [See Rule 54 (12)] परिवार का विवरण Details of Family

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम/Name of the Government servant:
2.	पदनाम/Designation:
3.	जन्म तिथि/Date of birth:
4	परिवार के महम्यों का विवरण/Details of the members of family as on:

क्रम सं. Sl. No.	परिवार के सदस्यों के नाम Names of the members of family	जन्म तिथि Date of birth	अधिकारी से संबंध Relationship with the officer	वैवाहिक स्थिति Marital Status	अभ्युक्ति Remarks	कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर दिनांक सहित Dated signature of Head of Office
1.	Ž.	3.	4.	5.	6.	7.

मैं किसी भी परिवर्धन और संशोधन से कार्यालयाध्यक्ष को अधिसूचित कर उपरोक्त विवरणी को अद्यतित रखने का एतदद्वारा घोषणा करता/करती

सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर Signature of the Government servant दिनांक:

Date:

्थान: Place:

टिप्पणी 1: सरकारी कर्मचारी द्वारा जमा किया गया मूल प्रपत्र प्रतिधारित किया जाना है। कॉलम 7 में कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर से सभी परिवर्धनों/संशोधनों को इस प्रपत्र में अभिलिखित किया जाना है। मूल प्रपत्र को कोई नया प्रपत्र प्रतिस्थापित नहीं करेगा। यद्यपि, सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी दोबारा परिवार का विवरण प्रपत्र 5 सहित जमा करें।

NOTE 1: The original Form submitted by Government servant is to be retained. All additions / alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Government, servant should submit the details of family aftersh along with Form 5.

टिप्पणी 2: पति/पत्नी, सभी बच्चों और अभिभावकों (चाहें पारिवारिक पेन्शन के लिए पात्र हों अथवा नहीं) एवं नि:शक्त सहोदरों (भाईयों और बहनों) का विवरण दें।

NOTE 2: The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

टिप्पणी 3: कार्यालयाध्यक्ष 'अभ्युक्ति' कॉलम में परिवार के विवरण में परिवर्धन अथवा संशोधन संबंधी संसूचना की पावती तिथि को निर्दिष्ट करें। परिवार के किसी भी सदस्य की वैवाहिक स्थिति में हुए अशक्तता अथवा परिवर्तन संबंधी उथ्यों को 'अभ्युक्ति' कॉलम में निर्दिष्ट करें।

NOTE 3: The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column.

The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

टिप्पणी 4: पत्नी - पति में न्यायिक रुप से पृथक हुए पति और पत्नी भी शामिल होंगे। NOTE 4: Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.